कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक—सी—30 द्वितीय एवँ तृतीय तल इन्द्रवती भवन, नया, रायपूर(छ.ग.)

-00

कमांक / भूभई 138 / आउशि / समन्वय / 2017

रायपुर,दिनांक 02 / 06/ 2017

पति

कुल सचिव, 1. समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ। पाचार्य 2 समस्त अग्रणी महाविद्यालय,

छत्तीसगढ

- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संख्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका विषय :--सिद्वांत।
- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ संदर्भ :--2017 / 38-2 नया रायपुर,दिनांक 29.05.2017

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017—18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2017–18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2017–18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिष्चित करावें ।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

(डॉ किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.) रायपुर,दिनांक ९ / 0% / 2017

पृ.कमांक /भभ५ **\38** /आउशि / समन्वय / 2017 प्रतिलिपि :-

अवर सचिव छ.ग. - शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ। 1. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर 2 सूचनार्थ ।

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग

ःमंत्रालयः

महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

नया रायपुर, दिनांक 2 9 MAY 2017 क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 प्रति

> आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्<mark>र 2017—18 हे</mark>तु प्रवेश विषय:-मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका प्रस्ताव कमांक 68/आउशि/समन्वय/2017 संदर्भ:-

----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की रनातक तथा 2 / रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सन्न 2017–18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।


ुअवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक 2/9 MAY22017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017/38-2 प्रतिलिपिः-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर। स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया 2

- निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर। 3
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- 4 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल। 5





Sovt. Shaheed Gendsingh College Charama Dist. Utor Bastar Kanker (C.G.)

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की रनातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2017-2018

प्रयुक्तिः 1.

1

- ये मार्गदर्शक सिद्धात छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ 1.1 विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिष्चित करेंगे।
- प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेरटर तथा रनातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

प्रवेश की तिथि :--2

प्रवेश हेत आवेदन पत्र जमा करना :--2.1

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लेगाई जायेगी। प्रवेश हेत् बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

प्रवेश हेत् अंतिम तिथि निर्धारित करना :--2.2

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य खयं तथा 14 अगरत तक कुलपति की अन्मति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के रथानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके प्त्र-प्त्रियों को रधान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेत् निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।



स्पष्टीकरण :--

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र खान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानतिरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत बे Principal Govt. Shaheed Gendsingh College Chardmin

Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Pravesh Margdarshika Siddhant 201718

परन्तु उपरोक्त प्रावधान रवशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय 📾 रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवैष्ट महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -12

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संख्या में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा. अर्थात
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से <mark>वत्तीस प्रतिश</mark>त (**क**) रोटं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से वौदह प्रतिशान (T) सीटे अन्य पिछड़े बगी के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। 👘

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटो का आरक्षण 12.2 (1)🚽 उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चो या (2)व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त 123 कुए से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुकम निर्धारित किया जावेगा।

सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होगे। 12.4

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन 12.5 काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् Charama, C अप्रभावित रहेगी, परन्तू यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें र्भरी जायेगी।

Prindipal

Pavet. Shaheed Gendsingh College Charama Dist. Litter Baster Kanker (C.G.)

Pravesh Maredurshika Suldhaut 201218

S. TVOD .

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा. 1/2 प्रतिशत् एव एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

- 12.7 जम्मू--कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार** :--

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

1110		1.4 11.1
(क)	एन.एस.एस.∕एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "बी") सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(되)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता	04 प्रतिशत
	में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़	05 प्रतिशत
	के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने	
	वाले विद्यार्थी को	
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(ਧ)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में	$\lambda_{\rm c}$ $\Lambda_{\rm c}$ $\lambda_{\rm c}$
nistt-U	भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए	OF ROLD
E		(principal

eshika Siddhant 201718

ovi. Shaheed Gendsingh College Chr Dish. Ultar Bastar Kanker IC. G

College-Chara

Serias

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

शोध छात्र :--

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाय-पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर को अनुशसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य विक जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत है अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के स्प में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण- पत्र एव प्रति तीन माह ह कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शाध शिक्षक को ने न

आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थित हिशोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध अविदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध लस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

विशेष :--16

indsingh Colling

rkel(C.G

C.

- जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकल तथ्यों, प्रशासकीय अध्य 161 कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है. तब एसे प्रवेश म निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह 💈 16.2 अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रजाय को होगा।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों -16.3 लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य क होगा।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त 16.4 होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी का सरक्षित निधि के अति अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- प्रवंश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के 16.5 आवश्यकता होने पर प्रावार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेगे, प्रवेश सन्दर्भ किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च 16.6 शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charam

The translated version of admission guideline published by the Higher Education, Chattisgarh Government for the year 2017-18 Regarding reservation. 2.1.3.1

Clause No. 12.1.

- a) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, thirty-two percent seats will be reserved for the Scheduled
 Tribes.
- b) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, twelve percent seats will be reserved for the Scheduled Caste.
- C) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, fourteen percent seats will be reserved for the Other Backward Caste. But where along with the vacant seats of Scheduled Tribes or Scheduled Castes/Other Backward Caste category, admission will be given to the eligible applicants in reverse order. If the reserved seats remain vacant on the last dates due to the non-availability of eligible students, then they will be filled from among the students of the opposite order.

Provided further that even after the provision referred to in the above provision if the seats reserved under clauses a, b, c remain vacant on the last dates, it will be filled by other eligible students.

Clause 12.2

- 1. The reservation of seats available under Clause (a) (b)and (c) of Paragraph No. 12.1 shall be determined vertically.
- 2. The third reservation percentage in respect of Persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters, or in respect of other special classes of persons shall be such as notified by the State Government from time to time for this Act and under the



Govt. Shaheed Gendsingh College Charama outher Kanker (C.G.)

clause (a) (b) (c) of the Paragraph number 12.1. shall be within the vertical reservation, as the case may be.

3 3 percent seats will be reserved for sons, daughters, grandson/granddaughters of freedom fighters.

- 4. Out of the available seats in all the categories, **30 percent will be** reserved for the girl students.
- 5. Due to getting more marks in the reserved category, and is placed in the merit list according to the rules in the open competition, so the reserved category seats will remain unaffected. But if such a student also belongs to any cadre like freedom fighters etc., then the cadre should be reserved for that reserved category and the seats in the remaining cadre will be considered filled.
- 6. If the percentage of the reserved seat is less than half, then the reserved seat will not be available. If it falls between half percent and one percent, the number of seats reserved will be one.
- 7. The migrants and dependents of Jammu and Kashmir should be given admission by increasing the seats by 5 percent and relaxation of 10 percent will be given in the minimum marks.
- Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.
- The provisions of the reservation are shown in paragraph 12.1. will be subject to the decision of the Hon'ble High Court, Bilaspur.
- 10. Regarding third gender persons, the decision of the Hon'ble Supreme Court be strictly followed in which it is directed that: "We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservations in cases of admission in educational institutions and for public appointments. "

A.Shahee.

Uker(C.G.

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःःमंत्रालयःः महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर	No.: L-201-22-1145 AD (+)-11D1-0D- Section (+)-127-40 Dete 5 1111 20.21 CHE		
	JUL LUZI C.H.E		
00			
00 क्रमांक, एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021			

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश विषयः— मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06. संदर्भः--

2021

प्रति,

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर खान)

🕤 अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः--

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर। 1.

निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 2.

नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल। 3.

अवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Buish Paayeus Ino

214-021

Govi. Shaheed Gendsingh Bollege Charan Distt. Uttar Bastar Kanker IC



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेत्र प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

Govt. Shaheed Gendsingh College Cho Distt. Uttar Bastar Kanker (Cho



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तुर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021-22

- प्रयुक्ति :--1.
- में क्रियाण्डम College C ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों 1.1 विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिष्चित करेंगे। प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करन - 2 होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोतार कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
 - प्रवेश की तिथि :--2

Har Bastar Kanker IC. C.

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--2.1

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्यांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक 🕮 महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों स्टेड निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्थ के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये 👉 सकेंगें।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--2.2

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितब तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश 🖄 तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस भीतर) शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्ष अत्र परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका उ (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवे चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सज्ज के नियमित / स्वाध्य अ विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करन वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

रनातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसा म महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तोण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा 🦳

- प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् —
 - (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में स<mark>ुबत्तीस प्रातः (</mark> सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशाल सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बौदह प्रतिश् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातिया साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलक के कारण अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, ता इस विपरीत कम म विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

(1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरत उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / गूतपूर्व सानेक स्वतंत्रता सहाक सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों क अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियन क

Barrienten (S.C.) 79

12.2

Govt. Shaheed Gendsingh College Charam

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3

5

12.8

129

12 10 Charan

5 .

Gendsings

रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रहेगे ।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी अंधन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सोत यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संगान सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी स्वर्भ जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध सह होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू—कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में 16 निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Stops to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend an kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए। अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति होत् इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिनार देव होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार हे। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर स्व सर्वाधिक अधिभार ही देव होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

रकाउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- 10 -

- (क) एन.एस.एस. ∕ एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट
- (ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत Principal 03 प्रतिशत

HNAL PRAVESH VALKEDARSHIKA 2021-22

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama Dist. Ultar Bastar Kanker (C.)

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :--

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायर पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा अर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य विक्य जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत है अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के ज्य में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण- पत्र एवं प्रति तीन माह ह कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शाघ शिक्षक क' ने '

ओहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हा जाने की स्थित हिशोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध अविदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध लस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

विशेष :--16

indsingh Coll

Rel(C.G

- जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यों, प्रशासकीय अध्य 16.1 कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है. तब ऐसे प्रवेश म निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह 16.2 अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रात्तात को होगा।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों -16.3 लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त 16.4 होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी का सराक्षेत निधि के अतिराजि अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन 🗟 16.5 आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हा रपष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सकी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च 16.6 शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charam

The translated version of admission guideline published by the Higher Education, Chattisgarh Government for the year 2021-22. Regarding reservation. 2.1.3.1

Clause No. 12.1.

- a) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, thirty-two percent seats will be reserved for the Scheduled Tribes.
- b) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, twelve percent seats will be reserved for the Scheduled Caste.
- C) In each branch of study or faculty, out of the annual sanctioned strength, fourteen percent seats will be reserved for the Other
 Backward Caste. But where along with the vacant seats of Scheduled Tribes or Scheduled Castes/Other Backward Caste category, admission will be given to the eligible applicants in reverse order. If the reserved seats remain vacant on the last dates due to the non-availability of eligible students, then they will be filled from among the students of the opposite order.

Provided further that even after the provision referred to in the above provision if the seats reserved under clauses a, b, c remain vacant on the last dates, it will be filled by other eligible students.

Clause 12.2

- 1. The reservation of seats available under Clause (a) (b)and (c) of Paragraph No. 12.1 shall be determined vertically.
- 2. The third reservation percentage in respect of Persons with disabilities, women, ex-servicemen/ex-servicemen, children of freedom fighters, or in respect of other special classes of persons shall be such as notified by the State Government from time to time for this Act and under the



Govt. Shaheed Gendsingh College Charama outer Kanker (C.G.)

clause (a) (b) (c) of the Paragraph number 12.1. shall be within the vertical reservation, as the case may be.

3 3 percent seats will be reserved for sons, daughters, grandson/granddaughters of freedom fighters.

- 4. Out of the available seats in all the categories, **30 percent will be** reserved for the girl students.
- 5. Due to getting more marks in the reserved category, and is placed in the merit list according to the rules in the open competition, so the reserved category seats will remain unaffected. But if such a student also belongs to any cadre like freedom fighters etc., then the cadre should be reserved for that reserved category and the seats in the remaining cadre will be considered filled.
- 6. If the percentage of the reserved seat is less than half, then the reserved seat will not be available. If it falls between half percent and one percent, the number of seats reserved will be one.
- 7. The migrants and dependents of Jammu and Kashmir should be given admission by increasing the seats by 5 percent and relaxation of 10 percent will be given in the minimum marks.
- 8. Reservation rules issued by the government from time to time should be followed.
- 9. The provisions of the reservation are shown in paragraph 12.1. will be subject to the decision of the Hon'ble High Court, Bilaspur.
- 10. Regarding third gender persons, the decision of the Hon'ble Supreme Court be strictly followed in which it is directed that: "We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservations in cases of admission in educational institutions and for public appointments. "

.d.Shahee.

Suker(C.G.

Pfincipal Govt. Shaheed Gendsingh College Charama Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)